परिशिष्ट छ

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 3 खण्ड 4 में प्रकाशित

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, नवम्बर, 14, 1979

फा० स० 25/1/79—पी०सी० आई०—प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 26 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रेस परिषद् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—इन विनियमों का नाम प्रेस परिषद् (अधिवेशनों तथा कारबार के संचालन की प्रक्रिया) विनियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "सचिव" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त, परिषद् का सचिव अभिप्रेत है।

(ख) "वर्ष" से कलैंडर वर्ष अभिप्रेत है।

3. परिषद् के अधिवेशन—किसी एक वर्ष में परिषद् के कम से कम चार साधारण अधिवेशन होंगे और इन अधिवेशनों की तारीख तथा स्थान वह होगा जो अध्यक्ष नियत करे।

(2) दो साधारण अधिवेशनों के बीच अन्तराल, सामान्यत: चार मास से अधिक का नहीं होगा।

4. अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति—परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति 11 से होगी।

परन्तु गणपूर्ति में कमी के कारण एक बार स्थगित अधिवेशन के संबन्ध में किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। स्थगित अधिवेशन की

तारीख तथा समय, अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य को सात दिन की सूचना देकर नियत करेगा ।

5. अधिवेशन बुलाने तथा अधिवेशन के लिए सूचना देने की शक्ति (1) उपनियम (2) में अपेक्षित रूप से सूचना देने के बाद अध्यक्ष, परिषद् का अधिवेशन किसी भी समय बुला सकता है ।

(2) अधिवेशन की सूचना, जिस पर सचिव और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, सामान्यत: प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन से 21 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(3) परिषद् के अधिवेशन की सूचना में अधिवेशन के समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा ।

(4) सूचना साधारण तथा "डाक प्रमाणपत्र" के अधीन जारी की जाएगी और उक्त 21 दिन की गणना, डाक में सूचना डालने की तारीख से की जाएगी,

परन्तु अत्यावश्यक स्थिति में, इस प्रकार सूचना जारी किए बिना भी अध्यक्ष कोई विशेष अधिवेशन कर सकता है । अध्यक्ष विचारार्थ विषयों तथा अधिवेशन बुलाने के कारणों के बारे में अग्रिम रूप से सदस्यों को सूचित करेगा ।

5. कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि सूचना संबन्धी अध्यपेक्षाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया है ।

6. अधिवेशनों में मामले उठाने की शक्ति:--कोई सदस्य परिषद् के सम्मुख कोई मामला तभी उठाने का हकदार होगा जब वह उस बाबत सचिव को स्पष्ट रूप से दस दिन की सूचना दे चुका हो तथा ऐसा मामला परिषद् के अधिवेशन की कार्यसूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा; परन्तु अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी भी अधिवेशन में बिना सूचना दिए, ऐसा कोई मामला उठाने की अनुमति दे सकता है ।

7 अध्यपेक्षा पर असाधारण अधिवेशन बुलाना : (1) अध्यक्ष कम से कम ग्यारह सदस्यों की अध्यपेक्षा पर, ऐसी अध्यपेक्षाओं की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर, परिषद् का असाधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(2) अध्यपेक्षा में उन विषयों का उल्लेख होगा जिन पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है और उन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने अध्यपेक्षा की है ।

(3) यदि अध्यक्ष, विधिमान्य अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उस विषय पर विचार करने के लिए परिषद् का अधिवेशन नहीं बुलाता है जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट है, तो सदस्य स्वयं अध्यपेक्षा करके ऐसा अधिवेशन बुला सकेंगे और विनियम में इससे पूर्व उपवर्णित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेंगे :

परन्तु ऐसा कोई अधिवेशन मूल अध्यपेक्षा की तारीख से पन्द्रह दिन समाप्त होने से पूर्व नहीं बुलाया जाएगा ।

8 अत्यावश्यक मामलों में विनिश्चय करने की अध्यक्ष की शक्ति—

(1) यदि परिषद् द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, विनिश्चय कर सकेगा और किसी लिखित आदेश द्वारा यह अनुज्ञा दे सकेगा कि परिषद् का कारवार किया जाएगा ।

(2) सम्बन्धित कागजात और अध्यक्ष द्वारा किया गया विनिश्चय परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखे जाएंगे ।

9. अधिवेशन स्थगित करने की शक्ति – परिषद् अपनी बैठक को बिना कोई पूर्व सूचना दिए दिन प्रतिदिन के लिए या किसी विशिष्ट दिन के लिए स्थगित कर सकेगी ।

10. बहुमत से विनिश्चय—किसी भी मामले में विनिश्चय, बहुमत से किया जाएगा और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का हक होगा ।

11. अधिवेशन में सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति—अध्यक्ष परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए परिषद् के किसी कर्मचारी से अध्यपेक्षा कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसा कर्मचारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा ।

12. कार्य-सूची—परिषद् के अधिवेशनों की कार्य-सूची सचिव और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्ति तैयार करेगा ।

13. अधिवेशन का कार्यवृत—प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत सचिव या उसकी अनुपस्थित में अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिलिखित करेगा ।

(2) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा नहीं चाहता है, तब तक किसी अधिवेशन में हुए विचार-विमर्श का शब्दश: अभिलेख रखना आवश्यक नहीं होगा ।

14. पूर्वतन अधिवेशन का कार्यवृत— पूर्वतन अधिवेशन का कार्यवृत परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष रखा जाएगा और यदि उस बाबत कोई आपत्तियां हैं तो उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे कार्यवृत्त को पुष्ट किया जाएगा ।

15. अध्यक्ष, अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा—अध्यक्ष परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य अपनों में से किसी एक को निर्वाचित करेंगे ।

ह०/-
(वी० पी० मालिक)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद